मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद्

(पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन गठित पंजीकृत संस्था)

59 ''सी'' विंग, द्वितीय तल, नर्मदा भवन, अरेरा हिल्स भोपाल

क्रमांक/ 800 /NREGS-MP/वित्त एवं लेखा/2012 भोपाल,दिनांक 25/01/12

प्रति,

कलेक्टर/जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना,
जिला–अशोकनगर एवं सिवनी।
(म.प्र.)

विषयः–वित्त वर्ष 2011–12 में मनरेगा अंतर्गत राशि जारी करने के एप्राईजल कमेटी के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत करने के संबंध में।

––00––

विषयांतर्गत मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद् को आपके जिलों– अशोकनगर एवं सिवनी को राशि जारी करने के संबंध में प्रस्ताव प्राप्त हुए है। राशि जारी करने के पूर्व परिषद् स्तर पर ''एप्राईजल कमेटी'' की बैठक में आपके प्रस्ताव को विचारार्थ रखा जायेगा।

अतः आपके जिले के अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, संदर्भित परिषद के उर्पयुक्त संदर्भित पत्र का पालन करते हुये निम्न जानकारी के साथ पर्यावास भवन स्थित परिषद् कार्यालय में दिनांक 28/01/2012 को प्रातः 11 बजे उपस्थित होने के निर्देश दे ।

क्र.	जानकारी के पत्रक	पृ.क्र से	पृ.क्र. तक
1	फेक्ट शीट 1, 2, 3 एवं 4 (प्रारूप संलग्न है)		
2	निर्धारित प्रारूप बी–16 में राशि की मांग।		
3	राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र बी–17 (गत वित्तीय वर्ष एवं चालू वित्तीय वर्ष) की अद्यतन स्थिति एवं वर्तमान में उपलब्ध धनराशि के विरूद्ध 60 प्रतिशत व्यय होने की अनिवार्यता।		
4	अद्यतन एमआईएस रिपोर्ट एवं मासिक प्रगति प्रतिवेदन।		
5	लेबर बजट की प्रति, उपलब्धियां एवं राशि मांगने का औचित्य।		
6	कार्यो के सामाजिक अंकेक्षण की अद्यतन स्थिति।		
7	शिकायतों के निराकरण की वस्तुस्थिति तथा दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने का अद्यतन स्थिति।		
8	भारत सरकार एंव गंभीर शिकायतों पर पालन प्रतिवेदन की अद्यतन स्थिति।		
9	लंबित विधानसभा प्रश्न एवं आश्वासनों के पालन प्रतिवेदन की अद्यतन स्थिति।		
10	SQM, NLM एवं ऑडिट कंडिकाओं के पालन प्रतिवेदन की स्थिति पृथक–पृथक।		
11	5 कि.मी. दायरे में भुगतान हेतु जिले में की जा रही मेपिंग की प्रगति रिपोर्ट।		
12	मनरेगा समस्या निराकरण शिविरों से संबंधी कार्यवाही एवं निराकरण की स्थिति।		
13	IEC गतिविधि पर चालू वर्ष को जोड़ते हुए गत तीन वर्षों का व्यय।		
14	संलग्न प्रमाण–पत्र (प्रारूप संलग्न है)		
15	वित्तीय वर्ष 2010–11 जिले की सी.ऑडिट में कंडिका एवं उसका पालन प्रतिवेदन (Audit and Finacial Management system) में अंकित करें। (छायाप्रति संलग्न करें)		

जानकारी पॉवरपाइंट प्रेजेंटेशन में भी प्रस्तुत की जानी है अतः तत्संबंधी आवश्यक तैयारी के साथ संबंधित अधिकारी उपस्थित रहें। यह भी लेख किया जाता है कि दिनांक 27.01.2012 तक पॉवर पाईट प्रेजेंटेशन की जानकारी ई–मेल से निम्न आई डी पर भेजी जाये jcfinance_nreg@rediffmail.com ।

(डॉ. राजीव सक्सेना)
संयुक्त आयुक्त (वित्त एवं लेखा)
मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद
मुख्यालय भोपाल

पृ.क्रमांक / 861 /NREGS-MP/वित्त एवं लेखा/2012 भोपाल,दिनांक 25 / 01 / 12

प्रतिलिपि –

1– प्रमुख सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की ओर सादर सूचनार्थ ।

2– आयुक्त पंचायतराज संचालनालय की ओर भेजकर कृपया अनुरोध है कि उपुर्यक्त दिनांक को बैठक में उपस्थित होने हेतु कष्ट करें सादर सूचनार्थ।

3– श्री बृजेश कुमार उपसचिव पंचायत एंव ग्रामीण विकास विभाग की ओर भेजकर अनुरोध है कि कृपया बैठक में भाग लेने का कष्ट करें सादर सूचनार्थ।

4– मुख्य अभियंता ग्रमीण यांत्रिकी सेवा विन्ध्याचल भवन भोपाल, मुख्य अभियंता मनरेगा, संयुक्त आयुक्त प्रशासन मनरेगा, संचालन जन शिकायत प्रकोष्ठ मनरेगा, सिस्टम एनालिस्ट मनरेगा, संयुक्त आयुक्त मनरेगा की ओर भेजकर अनुरोध है कि उपर्युक्त बैठक में भाग लेने का कष्ट करें।

5– स्टेार प्रभारी मनरेगा परिषद् मुख्यालय भोपाल की ओर भेजकर अनुरोध है कि संबंधित बैठक की व्यवस्था हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

6– मुख्य कार्यपालन अधिकारी / अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक संबंधित जिलों की ओर सूचनार्थ एवं तत्काल आवश्यक कार्यवाही हेतु।

संयुक्त आयुक्त (वित्त एव लेखा)
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद
मुख्यालय, भोपाल